



2026:AHC:126180-DB

दिनांक 27.05.2026 को सुरक्षित

दिनांक 08.06.2026 को प्रदत्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 179/2026

मुल्ला अफरोज

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

विकास श्रीवास्तव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता:

ए.एस.जी.आई. शासकीय अधिवक्ता, शिव कुमार

पाल

कक्ष में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा निर्णय दिया गया)

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास श्रीवास्तव और श्री चंदन श्रीवास्तव को सुना गया; राज्य की ओर से श्री रूपक चौबे, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-I; भारत के विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल श्री एस.के. पाल, जिनकी सहायता भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर प्रसाद कर रहे थे; ने राज्य सरकार के अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. रिट याचिका में निम्नलिखित राहतों की मांग की गई है: -

"(i) जिला मजिस्ट्रेट, संभल द्वारा दिनांक 13.10.2025 को पत्र संख्या 525/2025 के माध्यम से पारित आदेश और उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के विशेष सचिव, गृह द्वारा दिनांक 28.11.2025 को पत्र संख्या 108/2/15/2025-सीएम-7 के माध्यम से पारित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेक्षण प्रकृति का रिट या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति का रिट आदेश जारी किया जाए।

(iii) प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत याचिकाकर्ता को जिस भी अन्य उपर्युक्त रिट, आदेश या निर्देश का हकदार पाया जाए, उसे जारी किया जाए।

(iv) याचिकाकर्ता के पक्ष में लागत प्रदान की जाए।"

3. याचिका के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 17.01.2025 को नखासा, संभल पुलिस स्टेशन की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है तथा याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबंध (एनएसए) से संबंधित हिरासत आदेश की कोई प्रमाणित प्रति प्रदान नहीं की गई है, इसलिए याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.10.2025 के आदेश और दिनांक 28.11.2025 के आदेश की फोटोकॉपी इस रिट याचिका के साथ संलग्न की है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित हिरासत आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता की अवैध हिरासत के संबंध में, जिसकी सूचना याचिकाकर्ता (बंदी) को बिल्कुल नहीं दी गई थी, इस बात का प्रमाण संभल के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 13.10.2025 को अधीक्षक, जिला जेल-मुरादाबाद को भेजे गए पत्र और सूची से मिलता है, और उत्तर प्रदेश सरकार के गृह (गोपनीय विभाग) के विशेष सचिव द्वारा दिनांक 21.10.2025 को जारी पुष्टिकरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन से मिलता है, जिसकी सूचना याचिकाकर्ता को उसी दिन दी गई थी। याचिकाकर्ता अपने आचरण और अपराध अपराध संख्या 306/2024, 337/2024, 338/2024, 339/2024, 340/2024 में संलिप्तता के संबंध में विवरण दे रहा है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 13.10.2025 को अधीक्षक, जिला जेल, मुरादाबाद को संबोधित पत्र द्वारा याचिकाकर्ता (बंदी) को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का उत्तर भी प्रस्तुत कर रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 13.10.2025 के पत्र के साथ, जो जिला जेल अधीक्षक, मुरादाबाद को संबोधित था, याचिकाकर्ता (बंदी) को 22 दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। याचिकाकर्ता (बंदी) को प्रदान किए गए दस्तावेज का विवरण इस प्रकार है:-

" 1. सक्षम अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा बल प्रयोग हेतु दिये गये आदेश की प्रति।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 337/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125(ए), 125(बी), 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223(बी), 326(एफ) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन अधिनियम) धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की प्रमाणित प्रति।

3. अपराध संख्या 337/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125(ए), 125(बी), 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223(बी), 326(एफ) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन अधिनियम) धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की कायमी की प्रमाणित नकल रपट नं0 65 दिनांक 24.11.2024 समय 20:30 बजे थाना सम्भल जनपद सम्भल।

4. विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा घटनास्थल से संकलित की गई साक्ष्य एवं 08-12 घटना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

5. दिनांक 26.11.2024 समय 18:18 बजे थाना सम्भल पर दाखिल किये गये माल से सम्बन्धित नकल रपट सं0 58 की प्रमाणित प्रति।

6. दिनांक 25.11.2024 समय 06:08 बजे थाना सम्भल पर फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से संकलित कर दाखिल किये गये सामान से सम्बन्धित नकल रपट सं0 12 की प्रमाणित प्रति।

7. दिनांक 25.11.2024 समय 14:50 बजे थाना सम्भल पर फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से संकलित कर दाखिल किये गये सामान से सम्बन्धित नकल रपट सं0 44 की प्रमाणित प्रति।

8. दिनांक 24.11.2024 को शांति व्यवस्था के उद्देश्य से थाना सम्भल पर आगमन करने जाने वाले पुलिस बल के रोज नामचा आम की प्रमाणित प्रतियां।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



9. उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना के क्रम में अंकित किये गये गवाहान के बयानों की प्रति संलग्नक से तका।

10. अपराध संख्या 338/2024 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता थाना सम्भल जनपद सम्भल की प्रमाणित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति।

11. अपराध संख्या 306/2024 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता थाना नखासा जनपद सम्भल की प्रमाणित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति।

12. अपराध संख्या 340/2024 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता थाना सम्भल जनपद सम्भल की प्रमाणित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति।

13. अपराध संख्या 339/2024 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता थाना सम्भल जनपद सम्भल की प्रमाणित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति।

14. घटना में घायल हुये पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चिकित्सीय परीक्षण आख्याओं की प्रमाणित प्रतियां।

15. नकल रपट नं0 94 दिनांक 18.01.2025 समय 22:30 थाना सम्भल अंकित अपराध संख्या 187-195, 337/2024 की अपराध डायरी के पर्चा सं0 61 में अंकित तस्करा पूछताछ एवं अभियुक्त मुल्ला अफरोज के बयानों की प्रति।

16. अपराध संख्या 337/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125(), 125(), 221, 132, 196-274, 121(1), 121(2), 324(4), 223(बी), 326(एफ), भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन अधिनियम), धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण व धारा 3/25/27c5 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को प्रेषित आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति।

17. दिनांक 26.11.2024 से दिनांक 27.11.2024 तक इन्टरनेट सेवा बन्द कराये जाने हेतु किये गये आवेदन एवं आदेशों की प्रमाणित छाया प्रतियां।

18. विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



19. रपट नं0 40 समय 16:45 बजे दिनांक 28.08.2025 को थाना नखासा जनपद संभल पर अंकित की गई बीट सूचना एवं दिनांक 30.08.2025 को थाना संभल जनपद संभल पर अंकित की गई बीट सूचना रपट नं0 12 समय 07:41 दिनांक 30.08.2025 की प्रमाणित प्रति।

20. रपट नं0 40 समय 16:45 बजे दिनांक 28.08.2025 को थाना नखासा जनपद संभल पर अंकित की गई बीट सूचना एवं दिनांक 30.08.2025 की जांच की प्रमाणित प्रति।

21. माननीय उच्च न्यायालय ऑनलाइन स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद में अभियुक्त मुल्ला अफरोज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गये जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की साइट से प्राप्त स्टेटस की प्रति।

22. सामाजिक संगठन द्वारा दिया गया ज्ञापन तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा दी गयी गोपनीय रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दस्तावेजों की सूची देखने के बाद यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता (बंदी) को निरोध आदेश और निरोध के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 13.10.2025 को जिला कारागार अधीक्षक, मुरादाबाद को लिखे पत्र से स्पष्ट है कि निरोध आदेश और निरोध के आधार तथा उपर्युक्त दस्तावेज अधीक्षक, मुरादाबाद को प्राप्त नहीं हुए थे और उन्हें याचिकाकर्ता को निरोध आदेश और निरोध के आधार पढ़कर समझाने का निर्देश दिया गया था।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट, संभल द्वारा पारित निरोध आदेश और निरोध के आधार याचिकाकर्ता (बंदी) को नहीं दिए गए थे, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट, संभल के दिनांक 13.10.2025 के पत्र से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता (बंदी) की निरोध पूरी तरह से अवैध, विधि की दृष्टि से अनुपयुक्त, मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।

7. याचिकाकर्ता कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है और वह संभल जिले का एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यापारी और संपत्ति डीलर है। याचिकाकर्ता आयकरदाता है और नियमित रूप से आयकर का भुगतान करता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



8. संभल के सिविल जज (एसडी) द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 182/2024, हरि शंकर जैन बनाम भारत संघ और अन्य में पारित आदेश के अनुसरण में, एक कोर्ट कमीशन जारी किया गया था और कोर्ट कमिशनर ने जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया और पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। कोर्ट कमिशनर से उपर्युक्त सूचना प्राप्त होने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने संभल के पुलिस अधीक्षक को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए पत्र लिखा। संभल के पुलिस अधीक्षक ने संभल के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर सूचित किया कि विधानसभा चुनाव के कारण पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, इसलिए वे 20.11.2024 को सर्वेक्षण के लिए पुलिस बल प्रदान करने में असमर्थ हैं।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संभल स्थित जामा मस्जिद में हुए दंगे के संबंध में अपराध संख्या 333/2024 की पहली एफआईआर कोतवाली संभल, जिला संभल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। जामा मस्जिद में हुई हिंसा में नईम, बलाल, कैफ और आयद नामक चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, लेकिन पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मृतकों के परिजनों पर उपर्युक्त सभी चार हत्याओं के लिए अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराने का दबाव डाला, यह आरोप लगाते हुए कि मृतकों की मृत्यु जनता द्वारा की गई गोलीबारी के कारण हुई। वास्तव में, उपर्युक्त सभी चार व्यक्तियों की मृत्यु 24.11.2024 को जामा मस्जिद में हुई हिंसा में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी के कारण हुई थी।

10. याचिकाकर्ता निर्दोष है और पुलिस की दुर्भावनापूर्ण मंशा से उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है ताकि प्रकरण को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा सके और जामा मस्जिद हिंसा प्रकरण में चार व्यक्तियों (बलाल, अयान, मोहम्मद कैफ और नईम) की हत्या का दोष याचिकाकर्ता पर मढ़ा जा सके। इसके अलावा, जामा मस्जिद हिंसा प्रकरण में दिनांक 24.11.2024 की घटना के संबंध में, उसी दिन यानी 24.11.2024 को एसआई संजीव कुमार द्वारा अपराध संख्या 333/2024 के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उपर्युक्त अपराध संख्या 333/2024 की एफआईआर में अयान (मृतक) को भी आरोपी बनाया गया था। इसलिए, दिनांक 24.11.2024 की उसी घटना के लिए अपराध संख्या 306/2024, अपराध संख्या 337/2024, अपराध संख्या 338/2024, अपराध संख्या 339/2024 और अपराध संख्या 340/2024 के रूप में दूसरी एफआईआर दर्ज करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। याचिकाकर्ता की हिरासत और दूसरी अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एफआईआर पूरी तरह से अवैध है, कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है और न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से घोर दुरुपयोग है।

11. दिनांक 24.11.2024 की घटना के संबंध में, पुलिस दल द्वारा आम जनता के कई लोगों को चोटें आईं। चार आम नागरिकों की मृत्यु हो गई। उपर्युक्त के संबंध में, अपराध संख्या 333/2024 की एफआईआर पहले ही सहायक पुलिस अधिकारी संजीव कुमार द्वारा अयान (मृतक) सहित 8 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है। प्रत्यक्षदर्शी के बयान, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के आधार पर, कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं था और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला। 18.01.2025 की घटना के लगभग 55 दिन बाद, पुलिस के समक्ष दिए गए गैर-न्यायिक इकबालिया बयान के आधार पर याचिकाकर्ता को सभी आपराधिक प्रकरणों में झूठा फंसाया गया है। हालांकि, सभी अपराधों में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता चार सार्वजनिक व्यक्तियों, अर्थात् बेलाल, मोहम्मद कैफ, अयान और नईम की हत्या में शामिल था।

12. संभल स्थित जामा मस्जिद हिंसा प्रकरण में, 24.11.2024 को न्यायालय आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान, आम जनता और पुलिस दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हुए। उक्त हिंसा में चार व्यक्तियों, नामेले, बेलाल, अयान, मोहम्मद कैफ और नईम की मृत्यु हो गई। सर्वेक्षण के समय जामा मस्जिद में पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा हुई थी। चिकित्सा साक्ष्य और एफएसए रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मृतकों को लगी चोटें 315 बोर की गोली (जो पुलिस द्वारा राइफल में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है) के कारण हुई थीं। इसके अलावा, 24.11.2024 की घटना के लगभग 55 दिन बाद, पुलिस ने 18.01.2025 को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी दिखाई और 32 बोर की पिस्तौल बरामद की, जो मृतकों के चिकित्सा साक्ष्य की पुष्टि नहीं करती है। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के अनुसार, उपर्युक्त मृतकों को पुलिसकर्मियों की गोलीबारी से चोटें आईं। पुलिसकर्मियों ने गोलीबारी में चार से अधिक आम नागरिकों का दोष मृतकों के परिवार से छीन लिया और जानबूझकर और इरादे से उपर्युक्त सभी दूसरी एफआईआर दर्ज कराईं। एक ही घटना के लिए दूसरी एफआईआर कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है। सभी दूसरी एफआईआर में किसी भी आरोपी का नाम नहीं है, लेकिन 24.11.2024 की घटना से संबंधित सभी दूसरी एफआईआर में अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता (बंदी) का नाम पुलिस के समक्ष दिए गए उसके गैर-न्यायिक इकबालिया बयान के आधार पर दर्ज किया गया है, जो कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है।

13. याचिकाकर्ता को 17.01.2025 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी 18.01.2025 को दिखाई। यहां यह बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 17.01.2025 तक याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रत्यक्ष, परिस्थितिजन्य या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में कोई सबूत नहीं है। याचिकाकर्ता की 17.01.2025 को अवैध गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की तारीख 18.01.2025 बताई। इस अवैध गिरफ्तारी की अवधि (17.01.2025 से 18.01.2025) के दौरान पुलिस ने याचिकाकर्ता को प्रताड़ित किया। यातना और हत्या (मुठभेड़) की धमकी के बाद, पुलिस ने याचिकाकर्ता को उपर्युक्त हिंसा और उपर्युक्त प्रकरणों में संलिप्तता के संबंध में पुलिस के समक्ष गैर-न्यायिक बयान देने के लिए मजबूर किया। याचिकाकर्ता द्वारा हत्या की धमकी के तहत पुलिस के समक्ष दिया गया गैर-न्यायिक बयान कानून की दृष्टि से बिल्कुल भी मान्य नहीं है।

14. अपराध संख्या 337/2024 के जांच अधिकारी ने संभल के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राजेंद्र पैसिया का बयान धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज किया। अपने बयान में जिला मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया कि संभल जिले में धारा 144 सीआर.पी.सी. (163 बीएनएसएस) 1.10.2024 से 30.11.2024 तक लागू थी। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा, वह उसी दिन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए झूठे और निराधार प्रकरणों में जेल में है और उसने याचिकाकर्ता को सभी प्रकरणों में फंसाया है।

15. कानून के अनुसार, यदि हिरासत का आदेश इसलिए पारित किया गया था क्योंकि हिरासत प्राधिकारी को आशंका थी कि यदि बंदी को जमानत पर रिहा कर दिया गया तो वह क्षेत्र में फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कर देगा, तो वह हिरासत आदेश उचित नहीं था। यदि हिरासत प्राधिकारी की आशंका सही थी, तो जमानत आवेदन का विरोध किया जाना चाहिए और यदि जमानत दी गई थी, तो उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। केवल इस आधार पर कि विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में लिए गए आरोपी को जमानत मिलने की संभावना है, अधिनियम के तहत हिरासत का आदेश सामान्यतः पारित नहीं किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. अनुच्छेद 22(5) संविधान निर्माताओं की इस बात की गहरी समझ को दर्शाता है कि निवारक हिरासत से किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा जाता है, इसलिए इसमें प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जो समयबद्धता और तात्कालिकता को अनिवार्य बनाते हैं। अनुच्छेद- 22 का महत्व यह है कि बंदी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके, नजरबंदी के कारणों की सूचना देना और नजरबंदी के आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले सदस्य को अवसर देना संवैधानिक रूप से तब तक महत्वपूर्ण नहीं होगा जब तक संबंधित प्राधिकारी अभ्यावेदन पर विचार न करे और शीघ्रता से अपना निर्णय सूचित न करे।

17. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अनुच्छेद 22(5) की धारा 3(4) में यह प्रावधान है कि नजरबंदी का आदेश जारी होने के बाद, आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश जारी करने के आधारों और प्रकरण से संबंधित अन्य विवरणों सहित तथ्यों की सूचना तुरंत राज्य सरकार को देनी होगी। ऐसा कोई भी आदेश 12 दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा, जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। इस बीच, यह आदेश इस प्रावधान के अधीन है कि यदि नजरबंदी के कारणों की सूचना अधिकारी द्वारा नजरबंदी पत्र जारी होने के 5 दिनों के बाद, लेकिन 10 दिनों से अधिक नहीं, दी जाती है, तो उपधारा (4) लागू होगी यदि 12 दिनों के स्थान पर 15 दिन शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के तहत आदेश जारी करने या उसे अनुमोदित करने पर, धारा 3(5) के तहत उसे आदेश जारी करने के आधारों और आवश्यक विवरणों सहित 7 दिनों के भीतर केंद्रीय न्यायालय को इसकी सूचना देना अनिवार्य है।

18. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित हिरासत आदेश की पुष्टि करते समय राज्य सरकार ने हिरासत के आधारों की तामील पर विचार नहीं किया और याचिकाकर्ता के हिरासत आदेश को अवैध, मनमाना और अनियमित तरीके से अनुमोदित किया। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 12 के तहत परिभाषित है। माननीय बोर्ड की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 12 नीचे उद्धृत की जा रही है:

12. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई - (1) यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का पर्याप्त कारण है, तो उपर्युक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



सरकार हिरासत आदेश की पुष्टि कर सकती है और संबंधित व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार अवधि तक हिरासत में रख सकती है।

(2) यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपर्युक्त सरकार हिरासत आदेश रद्द कर देगी और संबंधित व्यक्ति को तत्काल रिहा करवा देगी।

19. याचिकाकर्ता ने संभल के जिला मजिस्ट्रेट को भी एक अभ्यावेदन भेजा था, जिसे संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने 31.10.2025 को समय सीमा समाप्त होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया था।

20. प्रत्यर्थी संख्या 3, संभल के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से एक प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया है।

21. उपर्युक्त प्रति-शपथपत्र में यह कहा गया है कि रिट याचिका का पैराग्राफ-वार उत्तर देने से पहले, माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह लाया जाता है कि चंदौसी, जिला संभल के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने सिविल अपराध संख्या 182/2024 में दिनांक 19.11.2024 को एक आदेश पारित कर संभल शहर में स्थित शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर का सर्वेक्षण करने के लिए एक न्यायालय आयोग का गठन किया था। अधिवक्ता श्री रमेश सिंह राघव को न्यायालय आयुक्त नियुक्त किया गया था और उन्हें शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने, पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने और 29.11.2024 तक संबंधित न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, 19.11.2024 को न्यायालय आयुक्त, शिकायतकर्ता, विपक्षी पक्ष, उनके अधिवक्ता और आवश्यक पुलिस बल ने शाही जामा मस्जिद परिसर का दौरा किया।

22. पूरे सर्वेक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। सर्वेक्षण लगभग डेढ़ घंटे तक चला, लेकिन अपर्याप्त रोशनी के कारण केवल आंशिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ही संभव हो पाई। सर्वेक्षण के दौरान परिसर के बाहर भीड़ जमा हो गई और विरोध में नारे लगाने लगी। मस्जिद समिति ने भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थता के कारण दिन के समय सर्वेक्षण को रोकने और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को भी रोकने का अनुरोध किया।

इसके बाद एडवोकेट कमिशनर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। बाद में, सर्वेक्षण दल ने शेष सर्वेक्षण अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



के लिए 24.11.2024 की तिथि निर्धारित की। सर्वेक्षण से पहले, वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी हितधारकों से बातचीत की और उन्हें सर्वेक्षण की स्थिति से अवगत कराया, जिसमें कहा गया कि केवल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है और कब्जे की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है।

23. चूंकि जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाना था, प्रकरण की संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, 24.11.2024 को सुबह 6:00 बजे से, जिले भर से एसएचओएस/एसओ, पुलिस और पीएसी कर्मियों को जामा मस्जिद के आसपास और संभल शहर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा किया। सर्वेक्षण दल को दोनों पक्षों के सदस्यों और पुलिस टीमों के साथ मस्जिद के अंदर भेजा गया और सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू हुई।

24. जब सर्वेक्षण दल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सर्वेक्षण कर रहा था, लगभग 8:00 बजे सूचना मिली कि एक क्रोधित भीड़ जामा मस्जिद के द्वार और हिंदुओं के घरों की ओर बढ़ रही है और लोग छतों पर जमा हो गए हैं। इस पर, वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस दल ने उनसे स्थिति को शांत करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने स्वयं भीड़ को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि, याचिकाकर्ता और उसके साथियों ने पहले ही भीड़ इकट्ठा कर ली थी और भ्रामक और झूठी जानकारी देकर उसे भड़का दिया था। "अल्लाहू अकबर" के नारे लगाते हुए भीड़ सर्वेक्षण दल के काम में बाधा डालने के इरादे से आगे बढ़ने लगी और किसी भी तरह की बातचीत से पीछे हटने को तैयार नहीं थी।

25. सुबह लगभग 8:45 बजे, भीड़ और बढ़ गई और कुछ लोगों ने पुलिस दल पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मारपीट के बाद सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार की 9 मिमी पिस्टल की मैगज़ीन, कांस्टेबल कपिल कुमार का रबर बुलेट बॉक्स, कांस्टेबल पंकज कुमार के 25 खाली कारतूस और कांस्टेबल राजपाल सिंह के कंधे पर रखे 15 कारतूसों वाला बैग उनसे छीन लिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26. पत्थरबाजी और मारपीट में सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार और अन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस प्रकार, जब हिंसक माहौल बन गया, तो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ अन्य पुलिस बल, पीएसी बल और आरएएफ स्वयं शांति स्थापित करने के लिए मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाने-बुझाने का हर संभव प्रयास किया तथा लूटे गए हथियार और कारतूस आदि लौटाने का अनुरोध किया। तब भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की मंशा से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए। इसके बाद, भीड़ को समझाया गया कि बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, उन्हें वहां से हट जाना चाहिए अन्यथा प्रावधानों के अनुसार बल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन भीड़ और अधिक उत्तेजित हो गई और याचिकाकर्ता और भीड़ में मौजूद उसके अन्य साथियों ने पत्थर फेंकने के साथ-साथ पूर्व नियोजित योजना के तहत अपने हाथों में अवैध हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी और पत्थर फेंकते हुए तथा आम जनता की संपत्तियों को तोड़फोड़ करते हुए जामा मस्जिद के संरक्षित क्षेत्र की दीवार तोड़ दी, बिजली के तार जला दिए, सरकारी और निजी वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और वाहनों में आग लगाना शुरू कर दिया, घरों की खिड़कियां तोड़ दीं आदि। और उन्होंने पुलिसकर्मियों को जान से मारने के इरादे से उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया।

27. याचिकाकर्ता द्वारा उकसाई गई भीड़ द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के कारण, पूरे संभल शहर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों की सार्वजनिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई, अराजकता का माहौल बन गया, दुकानदारों ने अपनी दुकानें गिरा दीं और जनता ने डर के मारे अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं और हर कोई छिपने की जगह ढूंढने लगा और खरीदारी करने वाले लोग डर के मारे भाग गए या दुकानों के अंदर छिप गए।

28. मौके पर मौजूद पुलिस बल ने क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने तथा संबंधित न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपद्रवियों को तितर-बितर करने हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट से बल प्रयोग करने का आदेश प्राप्त करने के बाद आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई, जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई। जामा मस्जिद परिसर के आसपास से वही भीड़ उन्मादी नारे लगाते हुए नखासा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मोहल्ला हिंदुपुरा खेड़ा की ओर बढ़ी, जिसे संभल जिले के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन हिंसक भीड़ ने फिर से पुलिस बल पर गोलीबारी की, जिसमें संभल के पुलिस अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अधीक्षक और उनके जनसंपर्क अधिकारी घायल हो गए। इस संबंध में नखासा पुलिस स्टेशन में प्रकरण दर्ज किया गया।

29. पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों से बरामद हथियार, कारतूस और गोले आदि को हिरासत में ले लिया गया, और उसके बाद, दंगाइयों द्वारा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान का भौतिक निरीक्षण किया गया, और यह पाया गया कि कुछ दंगाई घायल अवस्था में जमीन पर पड़े थे, जिन्हें पुलिस दल द्वारा तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, हालांकि, उनमें से कुछ की इलाज के दौरान या अस्पताल पहुंचने पर उपद्रवियों द्वारा की गई गोलीबारी और पत्थरबाजी में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

30. याचिकाकर्ता और उसके साथियों ने भीड़ को उकसाया और भड़काया और कांस्टेबल 585 गुलाब सिंह (पुलिस स्टेशन जुनावारी) की कार संख्या यूपी-81-डीडी-0478 स्विफ्ट वीएक्सआई और कार संख्या यूपी-38-जेड0878 बलेनो और एक अन्य स्कोडा कार संख्या डीएल-1सीवी-2019 सहित तीन कारों, उप-निरीक्षक श्री विकास निरवाल (पुलिस स्टेशन बहजोई) की मोटरसाइकिल संख्या सहित चार मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। यूपी-19-एस-4011 पल्सर, कांस्टेबल 1271 कृष्णपाल (पुलिस स्टेशन बहजोई) की मोटरसाइकिल संख्या यूपी-14-बीएच-5051 स्प्लेंडर, कांस्टेबल 127 हरेंद्र सिंह (पुलिस स्टेशन बहजोई) की मोटरसाइकिल संख्या यूपी-20-बीएल-5065 पल्सर और सब-इंस्पेक्टर श्री कृष्ण कुमार (पुलिस स्टेशन हयातनगर) की मोटरसाइकिल संख्या यूपी-16-डब्ल्यू-3295 सीडी डीलक्स को भी आग लगा दी गई।

31. घटनास्थल पर वाहन आग की लपटों में घिर गए थे, और चंदौसी सर्कल ऑफिसर श्री संतोष कुमार सिंह के सरकारी वाहन संख्या यूपी-38-एजी-0154 का आगे का शीशा, हेडलाइट और बायां दर्पण भी दंगाइयों ने तोड़ दिया था। जामा मस्जिद संरक्षित क्षेत्र की दीवार का एक हिस्सा भी टूट गया था। घटना स्थल के आसपास के घरों की कांच की खिड़कियां, सीसीटीवी कैमरे और बिजली के तार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे।

32. उक्त घटना दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त घटना के कारण संभल जिले और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में अत्यधिक भय, आतंक, क्रोध और आक्रोश फैल गया। घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में, आम जनता अपने घरों में बंद हो गई, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



कर लीं और खरीदारी कर रहे ग्राहक किसी तरह अपने जूते और चप्पल छोड़कर छिपकर भाग गए और अपनी जान बचाई। याचिकाकर्ता और उसके अन्य साथियों द्वारा किए गए इस कृत्य से संभल शहर और आसपास के जिलों में जनव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आसपास के जिलों में सुरक्षा अलर्ट घोषित कर दिया था।

33. जन व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट जारी किया गया और इंटरनेट एवं एसएमएस सेवाएं निलंबित कर दी गईं। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ-साथ आरएफ, पीएसी बल और विभिन्न पुलिस थानों से अतिरिक्त बल तैनात किए गए और क्षेत्र में सामान्य जनव्यवस्था बनाए रखने के लिए अथक और निरंतर प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कई दिनों बाद क्षेत्र में सामान्य जनव्यवस्था बहाल हो सकी, लेकिन इस घटना के कारण अभी भी पूरे क्षेत्र की आम जनता में भय, आतंक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

34. इस संबंध में, आईपीसी की धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125(ए), 125(बी), 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223(बी), 326(एफ), 317(3), आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम की धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम की धारा 3/4 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत प्रकरण अपराध संख्या 337/2024 वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट संभल पुलिस स्टेशन में श्री अनुज कुमार तोमर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, संभल, जिला संभल द्वारा दर्ज की गई थी।

35. यह विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि प्रकरण की डायरी में मौजूद सभी सामग्री याचिकाकर्ता के अपराध को सिद्ध करती है; अतः, निष्पक्ष और तटस्थ जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित अकाट्य और निर्विवाद साक्ष्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

36. याचिकाकर्ता और उसके साथियों द्वारा किए गए कृत्य के परिणामस्वरूप अराजकता फैल गई, जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण में खलल पड़ा, सांप्रदायिक भावनाएं भड़क उठीं और सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो गई। याचिकाकर्ता के इस कृत्य से भयावह और भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां का दृश्य भयावह और डरावना था। याचिकाकर्ता के इस कृत्य ने पूरे इलाके में सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और अंततः स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। यह एक संगठित कृत्य था, जो सार्वजनिक व्यवस्था के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए हानिकारक था। याचिकाकर्ता को संगठित रूप से दंगे भड़काने में संलिप्त पाया गया। यह पाया गया कि उसने उस समय गोली चलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों की मृत्यु हो गई; अतः प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होने के बाद, शपथकर्ता ने 13.10.2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की। याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत उचित रूप से हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर पूर्ण रूप से व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है और इस देश के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान में प्रदान किए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

37. शपथकर्ता ने पुलिस स्टेशन कोतवाली के स्टेशन हाउस ऑफिसर की दिनांक 03.10.2025 की रिपोर्ट / सर्कल ऑफिसर-सम्भल द्वारा दिनांक 04.10.2025 को भेजी गई रिपोर्ट / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (उत्तर), सम्भल द्वारा दिनांक 08.10.2025 को भेजी गई रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक, सम्भल द्वारा दिनांक 09.10.2025 को भेजी गई रिपोर्ट के साथ-साथ उसमें संलग्न अनुलग्नकों और अभिलेखों का अध्ययन किया और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, शपथकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत दिनांक 13.10.2025 को निवारक कार्रवाई की।

38. दिनांक 13.10.2025 का हिरासत आदेश, हिरासत के कारणों और सभी प्रासंगिक सामग्रियों सहित, याचिकाकर्ता को 14.10.2025 को जेल अधिकारियों के माध्यम से तामील कराया गया, क्योंकि वह जिला जेल, मुरादाबाद में न्यायिक हिरासत में था, ताकि उसे प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का शीघ्र अवसर मिल सके। इसके अलावा, हिरासत आदेश तामील कराते समय, याचिकाकर्ता को न केवल हिरासत के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल (उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी) सहित विभिन्न अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के बारे में भी सूचित किया गया। शपथकर्ता ने याचिकाकर्ता की रिहाई की प्रबल संभावना और रिहाई के बाद उसके द्वारा इसी प्रकार की गतिविधियों में फिर से शामिल होने की आशंका पर विचार किया, जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होंगी। याचिकाकर्ता को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक किसी भी प्रकार के कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पूर्ण व्यक्तिपरक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संतुष्टि के बाद, याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत सही ढंग से हिरासत में लिया गया है और इस देश के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान में प्रदान किए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

39. जब याचिकाकर्ता उपर्युक्त प्रकरण में न्यायिक हिरासत में था, तब दिनांक 13.10.2025 का हिरासत आदेश, हिरासत के कारणों सहित सभी संबंधित सामग्री, याचिकाकर्ता को 14.10.2025 को जेल अधिकारियों के माध्यम से तामील कराई गई, क्योंकि वह जिला जेल, संभल में न्यायिक हिरासत में था। हिरासत आदेश और हिरासत के कारणों को 13.10.2025 को ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सलाहकार बोर्ड को भेज दिया गया था।

41. हिरासत के कारणों के साथ, सभी संलग्न सामग्री, जिन पर विचार किया गया था, याचिकाकर्ता को 14.10.2025 को जेलर, जिला जेल, मुरादाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराई गई ताकि उसे प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का शीघ्र अवसर मिल सके।

42. हिरासत आदेश तामील किए जाने पर, याचिकाकर्ता को न केवल हिरासत के कारणों के बारे में बल्कि विभिन्न अधिकारियों, अर्थात् हिरासत अधिकारियों, सलाहकार बोर्ड और केंद्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन करने के अधिकार के बारे में भी सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता को यह भी सूचित किया गया था कि वह जल्द से जल्द अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और यदि वह जिला मजिस्ट्रेट/हिरासत प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे 12 दिनों के भीतर या हिरासत आदेश की स्वीकृति से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

43. उपर्युक्त हिरासत आदेश को राज्य सरकार द्वारा 21.10.2025 को अनुमोदित किया गया था और याचिकाकर्ता को तदनुसार 21.10.2025 को जेल अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया गया था।

44. याचिकाकर्ता ने अपना दिनांक 27.10.2025 का अभ्यावेदन 28.10.2025 को संभल जिला जेल में प्रस्तुत किया, जिसे उसी दिन यानी 28.10.2025 को जेल अधिकारियों के माध्यम से शपथकर्ता के कार्यालय को भेज दिया गया था।

45. तथ्यों और संबंधित अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, शपथकर्ता ने पाया कि दिनांक 13.10.2025 का निरोध आदेश ठोस साक्ष्यों के आधार पर सही ढंग से पारित किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था। शपथकर्ता ने यह भी पाया कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के निरोध आदेश की पुष्टि दिनांक 21-10-2025 को पहले ही कर दी थी। याचिकाकर्ता ने निरोध आदेश के 12 दिन बाद और राज्य सरकार द्वारा इसकी पुष्टि के बाद अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। इसलिए, शपथकर्ता ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को दिनांक 31.10.2025 को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया था और उक्त अभ्यावेदन की अस्वीकृति की सूचना आदेश सहित दिनांक 31.10.2025 को जेल अधिकारियों के माध्यम से याचिकाकर्ता को दी गई थी।

46. दिनांक 27.10.2025 के उपर्युक्त अभ्यावेदन को भी राज्य सरकार ने दिनांक 12.11.2025 को अस्वीकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को दिनांक 12.11.2025 को जेल अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया गया था।

47. केंद्रीय सरकार द्वारा 27.11.2025 को अभ्यावेदन को भी अस्वीकार कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को तदनुसार 27.11.2025 को जेल अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया गया था।

48. सलाहकार बोर्ड के समक्ष सुनवाई के दौरान, बोर्ड द्वारा शपथकर्ता और एसपी संभल को तलब किया गया था और वे 15.11.2025 को उक्त प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। याचिकाकर्ता भी 15.11.2025 को सलाहकार बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा 28.11.2025 को उक्त हिरासत आदेश को हिरासत की तिथि से बारह (12) महीनों की अवधि के लिए, अर्थात् 13.10.2025 से, पुष्टि कर दी गई थी। याचिकाकर्ता को तदनुसार 28.11.2025 को जेल अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया गया था।

49. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध के कारण सार्वजनिक व्यवस्था का विघटन हुआ। प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के बाद विवादित आदेश सही ढंग से पारित किया गया था और इसका आधार वस्तुनिष्ठ तथ्यों और प्रासंगिक एवं लागू कानून के आधार पर शपथकर्ता की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित है।

50. याचिकाकर्ता का आपराधिक प्रकरणों का लंबा इतिहास है, जैसा कि संभल के डीसीआरबी के अभिलेखों में दर्ज है, जो नीचे दिए गए हैं:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"(i) अपराध संख्या 210/2003, धारा 3/4 जुआ अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन-कोतवाली संभल, जिला- संभल।

(ii) अपराध संख्या 385/2009, धारा 323, 504 भारतीय दंड संहिता के तहत, पुलिस स्टेशन- नखासा, जिला- संभल।

(iii) अपराध संख्या 277/2013, धारा 147, 148, 149, 307, 336, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत, पुलिस स्टेशन- नखासा, जिला- संभल।

(iv) अपराध संख्या 591/2014, धारा 147, 148, 149, 307, 336, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, के तहत पुलिस स्टेशन- कोटवाली संभल, जिला- संभल।

(v) अपराध संख्या 169/2017 धारा 120बी, 147, 148, 149, 307, 332, 336, 353, 395, 427 भारतीय दंड संहिता और धारा 7

सीएलए अधिनियम और धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन नखासा, जिला संभल।

(vi) धारा 103(1), 61(2)ए बीएनएस के तहत अपराध संख्या 306/2024, पुलिस स्टेशन नखासा, जिला संभल।

(vii) धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 125, 223(बी), 310(2), 311, 317(3) बीएनएस और धारा 25(1-ए) (1-एबी) शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध संख्या 333/2024, पुलिस स्टेशन कोतवाली संभल, जिला संभल।

(viii) धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125(1), 125(2), 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223(बी), 326(सी), बीएनएस, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध संख्या 337/2024, पुलिस स्टेशन कोतवाली संभल, जिला संभल।

(ix) धारा 103(1), 61(2)ए बीएनएस के तहत अपराध संख्या 338/2024, पुलिस स्टेशन संभल, जिला संभल।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(x) धारा 125, 103(1) बीएनएस के तहत अपराध संख्या 339/2024, पुलिस स्टेशन कोतवाली संभल, जिला संभल।

(xi) अपराध संख्या 340/2024 धारा 103(1) बीएनएस और धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत, कोतवाली पुलिस स्टेशन संभल, जिला संभल।

51. प्रत्यर्थी संख्या 2, प्रधान सचिव, गृह, सिविल सचिवालय, लखनऊ की ओर से भी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र के समान ही एक प्रति-शपथपत्र दायर किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सलाहकार बोर्ड ने याचिकाकर्ता की बात सुनी और उसके बाद 15.12.2025 के अपने आदेश द्वारा राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह पुष्टि की गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता की निवारक हिरासत के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

52. प्रतिद्वंदी दलीलों पर विचार करने से पहले देश के मूल कानून पर एक नजर डालना आवश्यक है। भारत का संविधान जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, साथ ही गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ विशिष्ट सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है। हालांकि, मौलिक अधिकारों से संबंधित इसी अध्याय में, संविधान में अनुच्छेद 22 (3) से (7) तक हैं, जो स्पष्ट रूप से निवारक हिरासत को अधिकृत करते हैं:

"(1) गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारणों की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव किए जाने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जाता है, उसे गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी स्थल से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(3) खंड (1) और (2) में कोई बात लागू नहीं होगी? [...] (ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे निवारक हिरासत का प्रावधान करने वाले किसी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया हो।

(4) निवारक हिरासत का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि: (क) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य व्यक्तियों से युक्त एक सलाहकार बोर्ड उक्त तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले यह रिपोर्ट न दे दे कि उसकी राय में ऐसी हिरासत के लिए पर्याप्त कारण हैं: बशर्ते कि इस उपखंड में कुछ भी किसी व्यक्ति को खंड (7) के उपखंड (ख) के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देगा; या (ख) ऐसे व्यक्ति को खंड (7) के उपखंड (क) और (ख) के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया गया हो।

(5) जब किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत का प्रावधान करने वाले किसी कानून के तहत जारी आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति को आदेश जारी करने के आधारों की सूचना देगा और उसे आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्र अवसर प्रदान करेगा।

(6) खंड (5) में कोई बात उस खंड में निर्दिष्ट किसी आदेश को जारी करने वाले प्राधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं करेगी जिन्हें वह जनहित के विरुद्ध समझता हो।

(7) संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है? (क) वे परिस्थितियाँ और वे प्रकरण जिनमें किसी व्यक्ति को किसी निवारक हिरासत संबंधी कानून के तहत खंड (4) के उपखंड (क) के प्रावधानों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय लिए बिना तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है; (ख) वह अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को किसी निवारक हिरासत संबंधी कानून के तहत किसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



प्रकरण में हिरासत में रखा जा सकता है; और (ग) खंड (4) के उपखंड (क) के तहत जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।"

53. 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के कुछ महीनों बाद, संविधान के अनुच्छेद 22 को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसके परिणामस्वरूप अब ऐतिहासिक फैसला **एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950 एआईआर 27** आया। इस फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने निवारक नजरबंदी अधिनियम के कुछ प्रावधानों को संविधान का उल्लंघन करने वाला पाया, लेकिन निवारक नजरबंदी की अनुमति देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त करने से परहेज किया, यह देखते हुए कि ऐसी परिस्थितियां होंगी जो इस प्रकार की नजरबंदी को आवश्यक बना देंगी।

54. न्यायालय के तर्क का मुख्य आधार यह था कि अनुच्छेद 22 में अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं, जिनका पालन करने पर यह सुनिश्चित होगा कि निवारक हिरासत जीवन और स्वतंत्रता का मनमाना हनन न हो। न्यायालय ने गिरफ्तारी के प्रकरण में आरोपी के अधिकारों और निवारक हिरासत के प्रकरणों में बंदी के अधिकारों में भी अंतर बताया। यह भी उल्लेखनीय है कि इस निर्णय में यह स्वीकार किया गया कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निवारक हिरासत की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यदि निवारक हिरासत का उपयोग इस प्रकार किया जाए जिससे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, यातना पर प्रतिबंध या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कमजोर हो, तो यह असंवैधानिक होगा।

55. **मल्लाडा के. श्री राम बनाम तेलंगाना राज्य 2022 लाइव लॉ (एससी) 358** में इस बात को दोहराया गया, जब उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निवारक नजरबंदी शक्तियों का प्रयोग केवल संवैधानिक रूप से अनिवार्य सुरक्षा उपायों के भीतर ही करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके बिना यह निरंकुश हो जाता है:

"निवारक नजरबंदी की शक्तियां असाधारण और यहां तक कि निरंकुश भी हैं। औपनिवेशिक काल से उत्पन्न, इनका दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ जारी रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 को विशेष रूप से शामिल किया गया था और संविधान सभा में इस पर व्यापक बहस हुई थी ताकि यह सुनिश्चित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



किया जा सके कि निवारक नजरबंदी की असाधारण शक्तियां राज्य के अधिकार के निरंकुश और मनमाने प्रयोग में परिवर्तित न हों।"

56. हालांकि देखने में यह प्रावधान निवारक नजरबंदी की शक्ति पर सुरक्षा उपायों और प्रतिबंधों से युक्त प्रतीत होता है, लेकिन गहन अध्ययन से पता चलता है कि इनमें से प्रत्येक सुरक्षा उपाय बदले में अपवादों या विचलनों की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यह सुरक्षा उपाय कि निवारक हिरासत केवल तीन महीने के लिए ही अधिकृत होनी चाहिए, एक अपवाद के अधीन है जो इस अवधि को एक सलाहकार बोर्ड द्वारा बढ़ाने की अनुमति देता है, लेकिन यह अवधि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम अवधि के अधीन है। यह प्रभावी रूप से संसद को अनिश्चितकालीन निवारक हिरासत की अनुमति देने वाला कानून बनाने की शक्ति देता है।

57. संविधान यह भी कहता है कि बंदी को हिरासत के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए और उसे हिरासत के आदेश के विरुद्ध "जितनी जल्दी हो सके" और "जितनी जल्दी हो सके" अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए, हालांकि, कोई निश्चित समयसीमा प्रदान नहीं की गई है। यह आवश्यकता एक अपवाद के अधीन है, जो हिरासत प्राधिकारी के इस मत के आधारों को गुप्त रखने की अनुमति देता है कि खुलासा जनहित के विरुद्ध है।

58. संविधान निवारक हिरासत के लिए उपचार प्रदान करता है जिसमें हिरासत आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा¹² और आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका शामिल है। इन पर नीचे अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

59. संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक नजरबंदी पर संघ और राज्य स्तर पर कानून बनाने की अनुमति देता है। ऐसे कानून बनाने की शक्ति संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडलों को भी प्राप्त है, जिसमें संसद को "रक्षा, विदेश प्रकरणों या भारत की सुरक्षा से संबंधित कारणों" के लिए निवारक नजरबंदी हेतु कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है, और संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को "राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से संबंधित कारणों" के लिए कानून बनाने का अधिकार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



60. डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य, 1966 एआईआर 740 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के दायरे को निर्धारित करता है, जो निवारक हिरासत के दोनों आधार हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा:

"यदि सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, तो इससे सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न होनी चाहिए। शांति भंग का हर प्रकरण सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण नहीं बनता। जब दो शराबी झगड़ते और लड़ते हैं, तो अव्यवस्था तो होती है, लेकिन सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं। उनसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियों के तहत निपटा जा सकता है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी करने के आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। मान लीजिए कि दोनों लड़ने वाले प्रतिद्वंद्वी समुदायों के थे और उनमें से एक ने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की। समस्या अभी भी कानून और व्यवस्था की है, लेकिन इससे सार्वजनिक अव्यवस्था की आशंका उत्पन्न होती है। अन्य उदाहरणों की कल्पना की जा सकती है। कानून का उल्लंघन हमेशा व्यवस्था को प्रभावित करता है, लेकिन इससे पहले कि इसे सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कहा जा सके, इसका समुदाय या आम जनता पर प्रभाव पड़ना चाहिए। [...]"

61. इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार इस न्यायालय के निर्णयों (पूर्व उद्धृत) में 'सार्वजनिक व्यवस्था' को शामिल किया गया था, उसी प्रकार इसमें शामिल है 'राज्य की सुरक्षा' को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीर विकारों के लिए, 'कानून और व्यवस्था' में 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीर विकार भी शामिल हैं। हमें तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी चाहिए। कानून और व्यवस्था सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके भीतर अगला वृत्त सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। तब यह समझना आसान हो जाता है कि कोई कार्य कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं, ठीक उसी तरह जैसे कोई कार्य सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



62. इसकी पुष्टि *अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 424* के फैसले में फिर से की गई, जहां उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि केवल "कानून का उल्लंघन सभी प्रकरणों में सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण नहीं बनता है।" उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि:

'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाए रखने और 'कानून और व्यवस्था' की स्थिति पैदा करने वाले अपराधों के बीच अंतर - किसी कृत्य को 'सार्वजनिक व्यवस्था' में बाधा उत्पन्न करने वाला मानने के लिए, उस गतिविधि का आम जनता पर प्रभाव पड़ना चाहिए और उससे भय, घबराहट या असुरक्षा की भावनाएँ उत्पन्न होनी चाहिए। निजी व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले छिटपुट कृत्य और इसी तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति सार्वजनिक जीवन के सुचारु प्रवाह को प्रभावित नहीं करती। [...] निवारक हिरासत कानून 'आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आरक्षित एक असाधारण उपाय' है और इसका उपयोग 'कानून और व्यवस्था' लागू करने के उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। [...] जब आपराधिक कानून के सामान्य प्रावधान बंदी से निपटने के लिए पर्याप्त होते, तो राज्य के पास निवारक हिरासत अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि यह एक असाधारण कानून है।

63. सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के संबंध में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या बाध्यकारी है और कानून के समान प्रभावी है। हालांकि, जैसा कि स्पष्ट है, उन कृत्यों की कोई संहिताबद्ध परिभाषा नहीं है जिन्हें "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए खतरा माना जाता है, या जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे कृत्य करने की संभावना रखता है। कानून और व्यवस्था तथा सार्वजनिक व्यवस्था के बीच अंतर करने का प्रयास करने के बावजूद, उच्चतम न्यायालय इन अवधारणाओं के लिए स्पष्ट और सुसंगत व्याख्याएँ प्रदान करने में असमर्थ रहा है, इसके बजाय अस्पष्ट शब्दों का सहारा लेता है और "प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर" निर्णय लेने पर जोर देता है।

64. कोई कृत्य हिरासत का आधार बनता है या नहीं, यह हिरासत प्राधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) द्वारा कोई मापदंड प्रदान नहीं किया गया है कि हिरासत प्राधिकारी को यह "संतुष्ट" होने के लिए किन तथ्यों, साक्ष्यों या परिस्थितियों की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति को निषिद्ध तरीकों से कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, तर्क यह है कि निवारक हिरासत अपने स्वरूप से ही केवल संदेह या आशंका पर आधारित हो सकती है, न कि प्रमाण पर, इसलिए कोई वस्तुनिष्ठ मापदंड निर्धारित नहीं किए जा सकते: "चूंकि प्रत्येक निवारक उपाय इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने से रोका जाना चाहिए, जो यदि उसे स्वतंत्र और अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो उसके द्वारा किए जाने की उचित संभावना है, इसलिए यह सभी प्रकरणों में, कुछ हद तक, प्रमाण से भिन्न संदेह या आशंका पर आधारित होना चाहिए।" व्यवहार में, यह कार्यपालिका को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है।

65. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हिरासत प्राधिकारी की संतुष्टि व्यक्तिपरक प्रकृति की होती है। हिरासत प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग उसकी "व्यक्तिपरक संतुष्टि" के आधार पर किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) में निर्धारित आधारों के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत आवश्यक है।

66. इन विवेकाधीन शक्तियों का दायरा उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल इस हद तक निर्धारित किया गया है कि, हिरासत आदेश में प्रासंगिक सामग्री की मौजूदगी का उल्लेख होना चाहिए: "हम जानते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि व्यक्तिपरक प्रकृति की होती है, लेकिन व्यक्तिपरक संतुष्टि भी कुछ प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए।" इसके अलावा, यह सामग्री "संतुष्टि के गठन के लिए प्रासंगिक" होनी चाहिए और "संतुष्टि के गठन से तार्किक संबंध" होना चाहिए।

67. उच्चतम न्यायालय ने पाया कि व्यक्तिपरक संतुष्टि दो प्रकार की होनी चाहिए: पहला, यह संतुष्टि कि हिरासत में लिया जाने वाला व्यक्ति राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने की संभावना रखता है; और दूसरा, यह संतुष्टि कि व्यक्ति को इस प्रकार कार्य करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक है। जब बंदी बनाने का आदेश जारी किया जाता है, तो बंदी बनाने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि निहित मानी जाती है, लेकिन यदि व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधारों या कारणों में से कोई एक "अस्तित्वहीन, गलत या अप्रासंगिक" हो, तो बंदी बनाने का आदेश अमान्य हो जाएगा। न्यायालय सामान्यतः बंदी बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रक्रिया और विवेक के प्रयोग की समीक्षा करेगा, न कि स्वयं निर्णय की शुद्धता की। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि की गई न्यायिक समीक्षा "अपील नहीं" है, बल्कि "निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा" है।

68. सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य (1) यह समीक्षा करना है कि "संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने का पर्याप्त कारण है या नहीं" और (2) संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना है। सलाहकार बोर्ड को उन सभी सामग्रियों की जांच करने का अधिकार है जिन पर बंदी बनाने का आदेश आधारित है, और अतिरिक्त सामग्री मंगवाने की शक्ति भी है। यह किसी भी ऐसे अधिकारी की भी जांच कर सकता है जो यह निर्धारित करने में प्रासंगिक हो कि हिरासत आवश्यक है या नहीं।

69. यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि सलाहकार बोर्ड में न्यायिक सदस्य होते हैं, फिर भी यह हिरासत की समीक्षा में न्यायिक कार्यों का प्रयोग नहीं करता है। यह केवल आदेश जारी करने के तरीके की समीक्षा कर सकता है और हिरासत की आवश्यकता या उस सामग्री की सटीकता पर कोई निष्कर्ष नहीं दे सकता जिसके आधार पर आदेश पारित किया गया है।

70. प्रक्रिया के समापन पर, सलाहकार बोर्ड एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें संबंधित व्यक्ति की हिरासत के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं या नहीं, इस संबंध में उसकी राय होती है। इस राय के आधार पर, राज्य सरकार हिरासत आदेश की पुष्टि करती है। यदि सलाहकार बोर्ड को हिरासत के लिए पर्याप्त कारण नहीं मिलते हैं, तो राज्य सरकार आदेश की पुष्टि नहीं करेगी, और हिरासत उसी दिन से समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार, सलाहकार बोर्ड की राय के आधार पर सरकार द्वारा हिरासत आदेश की "पुष्टि" या "रद्द" की जाती है। सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रकरणों की संख्या के बारे में कोई सार्वजनिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और न ही इसके निर्णय सार्वजनिक किए जाते हैं।

71. जैसा कि ऊपर बताया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत आदेश की न्यायिक समीक्षा केवल प्रक्रियात्मक अनुपालन की जांच कर सकती है और सारभूत समीक्षा अनुमेय नहीं है। भारतीय कानून के तहत स्थापित स्थिति यह है कि चूंकि निवारक हिरासत प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग है, इसलिए न्यायपालिका केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया और हिरासत प्राधिकारी द्वारा विवेक के प्रयोग की समीक्षा कर सकती है, न कि स्वयं निर्णय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की शुद्धता की। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि की गई न्यायिक समीक्षा "अपील नहीं" है, बल्कि "निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा" है। परिणामस्वरूप, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी हिरासत को केवल इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि इस शक्ति का प्रयोग निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, या विवेक के बिना, या बेईमानी से या अनुचित उद्देश्य से किया गया है, या कानून के अधिकार के बिना, या अवैध रूप से किया गया है।

72. यदि हिरासत आदेश को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाती है, तो हिरासत प्राधिकारी को न्यायालय को यह संतुष्ट करना होगा कि हिरासत कानूनी है और ऐसी हिरासत को अधिकृत करने वाले कानून के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपूर्ण दलीलें किसी बंदी को मिलने वाली राहत में बाधा नहीं बनेंगी। बंदी के लिए यह कहना ही पर्याप्त है कि उसे गलत तरीके से हिरासत में रखा गया है, और यह साबित करने का भार हिरासत प्राधिकारी पर है कि याचिकाकर्ता-बंदी की हिरासत कानूनी थी और न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप थी, बल्कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों का भी सख्ती से पालन करती थी।

73. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसके कारण प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध कराने में विफलता, "विवेक का प्रयोग न करना और अधिकार क्षेत्र का अनुचित प्रयोग", प्रासंगिक दस्तावेजों की अनुपलब्धता सहित प्रक्रियात्मक मुद्दे और सलाहकार बोर्ड के समक्ष बंदी की याचिका रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी जैसे कारण हैं।

74. वर्तमान प्रकरण में, हम पाते हैं कि दिनांक 13.10.2025 का विवादित हिरासत आदेश प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा विवेक के प्रयोग और अधिकार क्षेत्र के उचित प्रयोग पर आधारित है। हिरासत आदेश में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए उसकी हिरासत आवश्यक है, इसलिए उसकी हिरासत अनिवार्य है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि उचित प्रतीत होती है और न्यायालय के समक्ष इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इससे किसी प्रकार की अनभिज्ञता नहीं झलकती। विवादित हिरासत आदेश के समर्थन में याचिकाकर्ता को 22 दस्तावेज उपलब्ध कराए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गए थे, जिन्हें याचिकाकर्ता ने याचिका के अनुच्छेद 4 में स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता का यह दावा नहीं है कि हिरासत आदेश का आधार बनने वाली सामग्री उसे उपलब्ध नहीं कराई गई थी और हिरासत आदेश तर्कहीन है।

75. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि कथित घटना में याचिकाकर्ता (बंदी) और अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यापक हिंसा की गई थी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। बड़ी संख्या में आपत्तिजनक हथियार बरामद किए गए, भीड़ द्वारा कई पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई, जिसमें बंदी भी शामिल था। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा एकत्रित सामग्री से यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता (बंदी) भीड़ को हिंसा और आगजनी के लिए उकसाने में शामिल था। याचिकाकर्ता (बंदी) और उसके अन्य साथियों द्वारा उत्पन्न इस स्थिति के कारण सार्वजनिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। जनता के मन में भय का माहौल बन गया। पुलिस को याचिकाकर्ता (बंदी) और अन्य आरोपियों द्वारा उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने में काफी कठिनाई हुई। याचिकाकर्ता (बंदी) के कृत्य ने समाज और समुदाय को भी अशांत कर दिया। उसके कृत्य के दुष्परिणामों के कारण जीवन की सामान्य गति प्रभावित हुई और अन्य समुदायों के एक बड़े वर्ग में भय का माहौल पैदा हो गया। याचिकाकर्ता (बंदी) द्वारा उत्पन्न कानून और व्यवस्था की स्थिति मात्र ही नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा कृत्य था जिसने सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया था।

76. इस बिंदु को *अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1970 (1) एससीसी 98* में स्पष्ट किया गया है, जहां उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने 'सार्वजनिक व्यवस्था' की अवधारणा को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है:

3. अधिवक्ता का निवेदन है कि ये व्यक्तियों के विरुद्ध छिटपुट कृत्य हैं और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने वाले नहीं हैं, इसलिए सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक कार्य करने से रोकने के बहाने हिरासत में लेना उचित नहीं था। इस निवेदन के समर्थन में इस न्यायालय के तीन प्रकरणों का हवाला दिया गया है: डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य, पुष्कर मुखर्जी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और श्याममल चक्रवर्ती बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता और अन्य। डॉ. राम मनोहर लोहिया के प्रकरण में इस न्यायालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उसमें बाधा डालने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और उसमें बाधा डालने के बीच अंतर स्पष्ट किया था। सार्वजनिक व्यवस्था को कानून और व्यवस्था से कहीं अधिक व्यापक समुदाय के दायरे में रखा गया था। सार्वजनिक व्यवस्था पूरे देश या किसी विशिष्ट क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए समुदाय के जीवन की सुचारु गति है। सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालना उन कृत्यों से भिन्न है जो व्यक्तियों के विरुद्ध निर्देशित होते हैं और समाज को इस हद तक प्रभावित नहीं करते कि सार्वजनिक शांति भंग हो जाए। किसी क्षेत्र में समुदाय के जीवन पर बाधा की मात्रा और उसका प्रभाव ही यह निर्धारित करता है कि बाधा गंभीर है या नहीं। यह केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति दूसरे को चाकू मार देता है। लोग सदमे में आ सकते हैं और परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन समुदाय का जीवन सुचारु रूप से चलता रहता है, चाहे कोई इस कृत्य को कितना भी नापसंद करे। एक अन्य प्रकरण पर विचार करें, एक कस्बे में सांप्रदायिक तनाव है। एक व्यक्ति दूसरे को चाकू मार देता है, जो कि एक बिल्कुल अलग तरह का प्रकरण है। इसके परिणाम गहरे होते हैं और यह जीवन की सुचारु गति को प्रभावित करता है तथा सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालता है क्योंकि इस कृत्य के परिणाम समुदाय के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं और उन्हें कानून और व्यवस्था का और उल्लंघन करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उकसाते हैं। कोई भी कृत्य अपने आप में अपनी गंभीरता का निर्धारक नहीं होता। प्रकृति में यह दूसरे से भिन्न नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी क्षमता में यह बहुत भिन्न हो सकता है। लड़कियों पर हमले का प्रकरण लें। एक होटल में ठहरा हुआ मेहमान आधा दर्जन नौकरानियों को चूम सकता है या उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। वह उन्हें और प्रबंधन को नाराज कर सकता है, लेकिन वह सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा नहीं करता है। वह किसी लड़की की सहेलियों से झगड़ा भी कर सकता है, लेकिन तब भी यह कानून और व्यवस्था का उल्लंघन माना जाएगा। एक और उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति सुनसान जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है। उसकी हरकतों के कारण स्कूल और स्कूल लगातार खतरे और डर में रहते हैं। अपने रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर जाने वाली महिलाएं रास्ते में रोके जाने और हमले का शिकार होने से डरती हैं। इस व्यक्ति की हरकत मूल रूप से दूसरे व्यक्ति की हरकत से अलग नहीं है, लेकिन इसकी क्षमता और सार्वजनिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



शांति पर इसके प्रभाव में बहुत बड़ा अंतर है। सुनसान जगहों पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की हरकत जीवन की सामान्य गति को बाधित करती है, जो सार्वजनिक व्यवस्था की पहली आवश्यकता है। वह समाज और समुदाय को अशांत करता है। उसके कृत्य से सभी महिलाओं के मान-सम्मान को लेकर चिंता उत्पन्न होती है और उसे सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी का कारण माना जा सकता है, न कि केवल ऐसे व्यक्तिगत कृत्य का, जिसे आपराधिक अभियोजन एजेंसियां संज्ञान में ले सकती हैं। अतः यह प्रश्न कि किसी व्यक्ति ने केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया है या सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने की संभावना वाले तरीके से कार्य किया है, यह कृत्य के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा और सीमा का प्रश्न है। फ्रांसीसी लोग कानून और व्यवस्था तथा सार्वजनिक व्यवस्था में अंतर करते हुए बाद वाले को 'ऑर्डर पब्लिक' कहते हैं। बाद वाले शब्द को कानून और व्यवस्था के सामान्य रखरखाव से कहीं अधिक अर्थ में मान्यता दी गई है। न्यायमूर्ति रामास्वामी ने रिट याचिका संख्या 179/1968 में सार्वजनिक व्यवस्था के गंभीर और अतिभयंकर उल्लंघनों, जो समुदाय को प्रभावित करते हैं या व्यापक जनहित को खतरे में डालते हैं, और शांति भंग के मामूली उल्लंघनों, जो आम जनता को प्रभावित नहीं करते, के बीच एक स्पष्ट अंतर बताया। उन्होंने सार्वजनिक और निजी अपराधों के बीच एक समानता स्थापित की। यह समानता उपयोगी है, लेकिन इसे अत्यधिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। व्यक्तियों या व्यक्तियों के विरुद्ध निर्देशित बड़ी संख्या में कृत्य सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन का कारण बन सकते हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया के प्रकरण में न्यायमूर्ति सरकार और हिदायतुल्ला ने उदाहरण दिए। इनसे पता चलता है कि कैसे अलग-अलग परिस्थितियों में एक जैसे कृत्य कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को अलग-अलग तरह से प्रभावित करते हैं। यह हमेशा नुकसान की मात्रा और समुदाय पर उसके प्रभाव का सवाल होता है। सवाल यह है कि क्या इससे समुदाय के जीवन प्रवाह में इतनी अशांति पैदा होती है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन माना जाए, या क्या यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है और समाज की शांति को अप्रभावित छोड़ देता है? हर प्रकरण में तथ्यों के आधार पर इस सवाल का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं है जिससे एक प्रकरण को दूसरे से अलग किया जा सके। राम मनोहर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लोहिया के प्रकरण के उदाहरण न्यायमूर्ति सरकार और हिदायतुल्ला ने दिए। इनसे पता चलता है कि कैसे अलग-अलग परिस्थितियों में एक जैसे कृत्य कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को अलग-अलग तरह से प्रभावित करते हैं। यह हमेशा नुकसान की मात्रा और समुदाय पर उसके प्रभाव का सवाल होता है। सवाल यह है कि क्या इससे समुदाय के जीवन प्रवाह में इतनी बाधा उत्पन्न होती है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन माना जाए, या क्या यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है और समाज की शांति को अप्रभावित छोड़ देता है? इस सवाल का सामना हर प्रकरण में तथ्यों के आधार पर करना पड़ता है। ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं है जिससे एक प्रकरण को दूसरे से अलग किया जा सके। राम मनोहर लोहिया के प्रकरण के उदाहरण न्यायमूर्ति सरकार और हिदायतुल्ला ने दिए। इनसे पता चलता है कि कैसे अलग-अलग परिस्थितियों में एक जैसे कृत्य कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को अलग-अलग तरह से प्रभावित करते हैं। यह हमेशा नुकसान की मात्रा और समुदाय पर उसके प्रभाव का सवाल होता है। सवाल यह है कि क्या इससे समुदाय के जीवन प्रवाह में इतनी बाधा उत्पन्न होती है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन माना जाए, या क्या यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है और समाज की शांति को अप्रभावित छोड़ देता है? इस सवाल का सामना हर प्रकरण में तथ्यों के आधार पर करना पड़ता है। ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं है जिससे एक प्रकरण को दूसरे से अलग किया जा सके।

77. इस संदर्भ में, **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम संजय प्रताप गुप्ता उर्फ पप्पू और अन्य, (2004) 8 एससीसी 591** का संदर्भ लिया जा सकता है। संजय प्रताप गुप्ता उर्फ पप्पू (उपर्युक्त) में यह कहा गया है:

"14. यह तर्क कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई है, यह मानने के लिए एक ही कृत्य को पर्याप्त नहीं माना जा सकता, स्पष्ट रूप से निराधार है। कृत्यों की संख्या मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण यह देखना है कि कृत्य का जीवन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर इसकी पहुंच कितनी व्यापक है और इसका प्रभाव कितना है।"

78. **नेनावथ बुज्जी बनाम तेलंगाना राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 367** में यह कहा गया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



43. हम अपने निष्कर्षों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं: -

- (i) हिरासत प्राधिकारी को आवश्यक व्यक्तिपरक संतुष्टि तक पहुँचने के लिए केवल प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सामग्री पर ही विचार करना चाहिए,
- (ii) यह एक अलिखित कानून, संवैधानिक और प्रशासनिक, है कि जहाँ कहीं भी निर्णय लेने का कार्य वैधानिक पदाधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर सौंपा जाता है, वहाँ प्रासंगिक और निकटवर्ती प्रकरणों पर ध्यान देने और अप्रासंगिक और दूरस्थ प्रकरणों से बचने का एक अंतर्निहित कर्तव्य होता है,
- (iii) इस स्थापित सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि हिरासत आदेश के लिए हिरासत प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि आवश्यक है, जिस पर आमतौर पर अपर्याप्त सामग्री के कारण न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। फिर भी, यदि हिरासत प्राधिकारी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार नहीं करता है या उन्हें पूरी तरह से अनावश्यक मानता है। यदि परिस्थितियाँ महत्वहीन और अप्रासंगिक हों, तो ऐसी व्यक्तिपरक संतुष्टि अमान्य हो जाएगी।
- (iv) हिरासत आदेश को रद्द करते समय न्यायालय व्यक्तिपरक संतुष्टि की सत्यता पर निर्णय नहीं देता। न्यायालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि व्यक्तिपरक संतुष्टि तक पहुँचने की निर्णय प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है या किसी मनमानी, दुर्भावना, अप्रासंगिक विचारों या विवेकहीनता से प्रभावित है।
- (v) हिरासत आदेश जारी करते समय, प्राधिकारी को उचित संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए, जो हिरासत आदेश में स्पष्ट और निश्चित शब्दों में परिलक्षित होनी चाहिए।
- (vi) केवल आदेश में यह कथन कि "बंदी को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक कार्य करने से रोकना आवश्यक था" से संतुष्टि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बल्कि, हिरासत प्राधिकारी को अपने समक्ष मौजूद सामग्री के आधार पर हिरासत आदेश को उचित ठहराना होगा और उक्त सामग्री पर विचार करने की प्रक्रिया को संतुष्टि व्यक्त करते समय हिरासत आदेश में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vii) राज्य की पुलिस व्यवस्था द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में असमर्थता निवारक हिरासत के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का बहाना नहीं होना चाहिए।

(viii) ऐसे आदेश का औचित्य बंदी को दिए गए आधारों में निहित होना चाहिए, जो हिरासत आदेश को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक हों। इसे उन कारणों/आधारों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता जो बंदी को नहीं दिए गए हों। प्राधिकारी का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्यों पर गहन विचार-विमर्श का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए।

(ix) निवारक हिरासत आदेश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त संतुष्टि प्राप्त करने हेतु, हिरासत प्राधिकारी को सर्वप्रथम भावी बंदी के विरुद्ध प्रस्तुत सामग्री की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका आचरण या पूर्ववृत्त यह दर्शाता है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक तरीके से कार्य कर रहा है। द्वितीय, यदि उपर्युक्त संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, तो उसे आगे विचार करना चाहिए कि क्या यह संभावना है कि उक्त व्यक्ति निकट भविष्य में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करेगा, जब तक कि उसे हिरासत आदेश पारित करके ऐसा करने से रोका न जाए। व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर हिरासत आदेश पारित करने के लिए, उपर्युक्त पहलुओं और बिंदुओं का उत्तर भावी बंदी के विरुद्ध होना चाहिए। प्रासंगिक और निकटवर्ती महत्वपूर्ण प्रकरणों पर विचार न करना, हिरासत प्राधिकारी की ओर से वैधानिक संतुष्टि की कमी को दर्शाता है।

79. याचिकाकर्ता की हिरासत के आधारों की जांच करने पर, इस याचिका में चुनौती दी गई हिरासत का आदेश ठोस तर्क पर आधारित है। हिरासत प्राधिकारी और राज्य सरकार दोनों ने इस बात की व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उचित विचार-विमर्श किया है कि याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लेना आवश्यक था। हिरासत के आधार सुविचारित हैं, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन को दर्शाने वाले कृत्यों और परिणामस्वरूप उत्पन्न तथ्यों का हिरासत प्राधिकारी द्वारा विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। जीवन की सामान्य गति किस प्रकार प्रभावित हुई, इसका उल्लेख हिरासत के आधारों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में स्पष्ट उदाहरणों के साथ किया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा ऐसे कृत्यों को दोहराने की संभावना, जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था का और उल्लंघन हो सकता है, का भी उल्लेख किया गया है। इस संबंध में भी व्यक्तिगत संतुष्टि वैध और वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित है।

80. यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह उन कारणों की पर्याप्तता का आकलन करें जिनके आधार पर निरोधक प्राधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एन.एस.ए. के तहत कार्रवाई की। हम अपील न्यायालय नहीं है जो सामग्री की पर्याप्तता या उसकी प्रमाणिकता की जांच करें जब तक कि वह स्पष्ट रूप से बेतुकी ना हो और निरोध प्राधिकारी के निष्कर्ष के विपरीत ना हो।

81. परिणामस्वरूप, हमें इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। इसे एतद्वारा **खारिज** किया जाता है।

8 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।